

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
फाइल सं० हरि./104/2017/ए.पी.सी.आर.
सुनवाई तिथि: 10.09.2018 का कार्यवृत्त

श्री विजेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक पानीपत, श्री सुजान सिंह, अतिरिक्त जिलाधिकारी, पानीपत, श्री संजय देशवाल, जिला कल्याण अधिकारी, पानीपत एवं प्रार्थी श्री मोहन लाल दिनांक 10.09.2018 को सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।

पुलिस रिपोर्ट में सूचित किया गया है की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा राहत धनराशि ₹ 4.125 लाख का भुगतान मृतक के परिवार को दे दिया गया है।

पुलिस प्रकरण में संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 के अधीन निर्धारित समय सीमा दो माह में विवेचना पूर्ण करेगी।

कृत कार्यवाही की पूर्ण रिपोर्ट सहित दो माह पश्चात दिनांक ..17-12-2018... अगली सुनवाई।

प्रो.(डॉ. राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग